



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012023-241999
CG-DL-E-16012023-241999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2023/पौष 26, 1944

No. 248]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2023/PAUSHA 26, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

का.आ. 262(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 2019 (2019 का 30) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3659 (अ) में पैराग्राफ (5) के तहत तालिका में, उल्लिखित क्रम संख्या के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क्र. सं.	राज्य चिकित्सा परिषद का नाम	नामित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
12	महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद	डॉ. पल्लवी पी. सपले

[फा. सं. वी. 11013/01/2019-एमईपी(पार्ट-I)]

सचिन मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2023

S.O. 262(E).—In pursuance of provisions under clause (e) of sub-section (2) of Section 11 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), in the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3659(E) dated 10th October, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), under paragraph (5), in the table, the following entries against mentioned serial numbers shall be substituted:

Serial Number	Name of the State Medical Council	Details of the nominated Member
(1)	(2)	(3)
12	Maharashtra Medical Council	Dr. Pallavi P. Saple

[F. No. V.11013/01/2019-MEP(Pt.I)]

SACHIN MITTAL, Jt. Secy.